कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 737 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 16 मई, 2026

उत्तराखण्ड राज्य में एसआईआर–2026 (SIR-2026) के संबंध में दिनांक 15 मई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार रही :–

1. श्री सूर्यकान्त धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष / प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
2. श्री मनोज रावत, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
3. श्री अमेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
4. श्री राजकुमार पुरोहित, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
5. श्री तरूण बंसल, प्रदेश सचिव / प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
6. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
7. श्री सतेन्द्र चोपड़ा, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
8. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
9. श्री कमरूद्दीन, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मा0)।
10. श्री हिमाशु चौहान, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मा0)।
11. डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. श्री किशन सिंह नेगी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

1) सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया तथा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य में 01 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत तैयारी एवं प्रशिक्षण, BLO द्वारा घर–घर भ्रमण, मतदान केन्द्र युक्तिकरण, प्रारूप प्रकाशन, दावा एवं आपत्ति अवधि तथा अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशन की समय–सारणी साझा की गयी।

S.No.	Activity	Period
1-	Preparation, Training & Printing	29.05.2026 to 07.06.2026
2-	House to House visits by BLOs	08.06.2026 to 07.07.2026
3-	Rationalization of Polling Stations	By 07.07.2026
4-	Publication of draft Electoral roll	14.07.2026
5-	Period for filing claims & objections	14.07.2026 to 13.08.2026
6-	Notice Phase/ disposal of Claims & objection	14.07.2026 to 11.09.2026
7-	Publication of Final Electoral Roll	15.09.2026

2) बैठक में आयोग के नवीनतम दिशा–निर्देशों, कार्ययोजना, BLO / BLA की भूमिका, दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया तथा जन–जागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में बताया

गया कि SIR का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करना तथा अपात्र, मृत, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाना है।

3) बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 08 जून 2026 से 07 जुलाई 2026 तक BLO द्वारा घर–घर भ्रमण कर Enumeration Form का वितरण एवं संग्रह किया जाएगा। BLO को प्री–फिल्ड Enumeration Form, रिक्त Form–6 तथा Declaration Forms उपलब्ध कराए जाएंगे। BLO द्वारा मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता भी प्रदान की जाएगी। बैठक में स्पष्ट किया गया कि Enumeration Phase के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। केवल सत्यापन एवं लिंकिंग का कार्य किया जाएगा। आवश्यक होने पर बाद की प्रक्रिया में ERO द्वारा नोटिस जारी कर दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। यदि किसी मतदाता द्वारा Enumeration Form जमा नहीं किया जाता है, तो BLO द्वारा स्थानीय पूछताछ के आधार पर संभावित कारण जैसे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट अंकित किए जाएंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची पंचायत भवन, नगरीय निकाय कार्यालय एवं CEO/DEO वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

4) बैठक में राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में मान्य होगा, नागरिकता प्रमाण (Citizenship Proof) के रूप में नहीं। आधार संख्या देना वैकल्पिक होगा।

5) बैठक में बताया गया कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। इसके उपरांत 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक दावा एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। Form–6, Form–7 एवं Form–8 के माध्यम से नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

6) बैठक में अगवत कराया गया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल सम्पादन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त बी.एल.ओ. के साथ सहयोग हेतु प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा बी.एल.ए. तैनात किये जाने आवश्यक है। आतिथि तक 11733 मतदेय स्थलों के सापेक्ष कुल 21808 बी.एल.ए. की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसमें भाजपा द्वारा 11138, कांग्रेस द्वारा 10175, बीएसपी द्वारा 117 और सीपीआई (एम) द्वारा 378 बी.एल.ए. नियुक्त किये गये है। आप द्वारा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सहयोग बनाने हेतु सभी दलों से अनुरोध किया गया कि आगामी दो सप्ताह के अन्तर्गत सभी मतदेय स्थलों हेतु बी.एल.ए. की तैनाती सुनिश्चित करें।

7) बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्तमान में उपलब्ध ASD सूची BLA–1 को भी उपलब्ध करायी जाए। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सभी जनपदों को उक्त सूची संबंधित BLA को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एस.आई.आर.के दौरान भी तैयार की गयी ए.एस.डी. लिस्ट बी.एल.ए.–2 को उपलब्ध करायी जायेगी।

8) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है, यह किन्हीं कारणों से हट गया है, तो भी वह प्रारूप–6, व और घोषणा पत्र (Annexure IV) भर कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। आलेख्य प्रकाशन के उपरान्त ऐसे सभी दावे/आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर अन्तिम प्रकाशन पर ऐसे मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो पायेगा।

9) बैठक में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं BLA के माध्यम से मतदाताओं को SIR कार्यक्रम के प्रति जागरूक करें तथा BLO को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। सभी दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार करना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ हो सके। सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित अधिकारियों से आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध एवं समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध के साथ सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–737/ **XXV-25/2025** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. कार्यालय प्रति।

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के घोषणा के क्रम में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 15 मई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे आहूत बैठक की उपस्थिति

क्र. सं.	प्रतिभागी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	सत्येन्द्र कुमार सिंह	बी० एस० पी०	9997183418	
2	मनोज रावत	INC	8393039229	
3	अमेन्द्र बिष्ट	कांग्रेस पार्टी	8979132677	
4	[illegible]	CPIM	9627546583	
5.	Himanshu Chauhan	CPI(M)	9058382656	
6	Satendrachop	B.S.P.	9368689368	
7	SatyaPal	B.S.P.	9412059284	
8.	Suryakant Dhasmana	I.N.C.	9412056959	
9	RajKumar Purohit	BJP	9412976332	
10	Tarun Bansal	State Secretary BJP	98370 52557	

Meeting on SIR-2026 with Political Representatives